राजभाषा विभाग का वर्ष 2011-12 का निष्कर्ष बजट

1. भूमिका

1.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राष्ट्रपति के समय समय पर जारी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग एक नोडल विभाग है। इसकी स्थापना जून, 1975 में की गई थी। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है । इनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण करना, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल है । यह विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है । कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न इलैक्ट्रानिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास तथा उपलब्धता संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभा रहा है ।

1.2 राजभाषा विभाग मूलत: राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग से जुड़ी गतिविधियां निष्पादित करता है । यह विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देता है । राजभाषा विभाग सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एंव हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है । विभाग का यह भरसक प्रयास होता है कि बजट में आवंटित राशि का सदुपयोग कर लिया जाये ।

2 राजभाषा विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय

2.1 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

2.1.1 राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को नीचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी :-

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती, हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अंग्रेजी टंकण

और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(3) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं, किंतु हिंदी में कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

2.1.2 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप-संस्थान

संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नै में 5 उप-संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देश भर में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा व हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 129 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र व 18 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

2.1.3 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2009-2010		वर्ष 2010-2011		वर्ष 2011-12
	लक्ष्य (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (31.12.2010 तक)	लक्ष्य (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (लक्ष्य)
(1) हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ)					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	28,360	17,752	27,040	17,356	28,340
(ख) गहन प्रशिक्षण	3,000	1,400	3,510	789	4,590
(ग) भाषा पत्राचार	4,000	2,619	4,000	2,665	4,000
योग	**35,360**	**21,771**	**34,550**	**20,810**	**36,930**
(2) हिंदी टंकण प्रशिक्षण					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	2,500	1,782	2,740	1853	2,860
(ख) गहन टंकण	500	311	750	201	750
(ग) टंकण पत्राचार	1,000	601	1,000	707	1,000
योग	**4,000**	**2,694**	**4,490**	**2,761**	**4,610**

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2009-2010		वर्ष 2010-2011		वर्ष 2011-12
	लक्ष्य (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (31.12.2010 तक)	लक्ष्य (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (लक्ष्य)
(3) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	1,040	372	1,230	222	1,220
(ख) गहन प्रशिक्षण	140	53	210	34	210
योग	**1,180**	**425**	**1,440**	**256**	**1,430**
(4) हिंदी कार्यशालाएँ (क) कार्यशालाएं (ख) प्रशिक्षार्थी	85 कार्यशालाएं 1700 प्रशिक्षार्थी	46 कार्यशालाएं 777 प्रशिक्षार्थी	75 कार्यशालाएं 2250 प्रशिक्षार्थी	38 कार्यशालाएं 495 प्रशिक्षार्थी	39 कार्यशालाएं 1170 प्रशिक्षार्थी
(5) अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (क) कार्यक्रम (ख) प्रशिक्षार्थी	07 कार्यक्रम नामन पर आधारित	06 कार्यक्रम 132 प्रशिक्षार्थी	07 कार्यक्रम नामन पर आधारित	05 कार्यक्रम 106 प्रशिक्षार्थी	07 कार्यक्रम नामन पर आधारित

टिप्पणी : वर्ष 2010-11 की 75 कार्यशालाओं के सापेक्ष में 2011-12 में केवल 39 कार्यशालाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है क्योंकि 2010-11 सापेक्ष में 2011-12 में गहन भाषा प्रशिक्षण में लक्ष्य 3510 से बढ़ाकर 4590 कर दिया गया है।

2.1.4 वार्षिक कार्य योजना वर्ष **2009-10** में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के निम्नलिखित कारण हैं **:-**

क. केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय का यह दायित्व है कि वे अपने कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों में से कम से कम 20 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए भेजे, जबकि अधिकांश कार्यालय प्रशिक्षण हेतु अपने कर्मचारियों को नहीं भेजते हैं और इस नियम का पालन नहीं करते ।

ख. हिंदी शिक्षण योजना की लगभग सभी कक्षाएं अन्य कार्यालयों के परिसरों में उन्हीं के सहयोग से चलाई जाती हैं ! कई बार संबंधित कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान में नार्म्स के अनुरूप 30 प्रशिक्षार्थियों के बैठने की सुविधा नहीं

होती । अतः कई कक्षाओं में स्थान की कमी के कारण पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षार्थियों को कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

ग. प्रारंभ में, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण मैनुअल उसके बाद इलैक्ट्रानिक टापइराइटर्स के माध्यम से दिया जाता था, परंतु अब यह प्रशिक्षण समय की मांग के अनुसार कंप्यूटर पर दिया जाने लगा है । जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर पहले 30 टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए थे, अब उन्हीं प्रशिक्षण केंद्रों पर केवल 15-20 कंप्यूटर ही स्थापित किए जा सकते हैं । हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण हेतु केवल निजी सहायकों, निजी सचिवों और प्रधान निजी सचिवों को ही नामित किया जाता हैं और ये सभी उच्च अधिकारियों के साथ तैनात होते हैं । उच्च अधिकारी अपने इन अधिकारियों/कर्मचारियों को एक वर्ष या 80 पूर्ण कार्य दिवसीय आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं ।

2.1.5 प्रशिक्षण संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान द्वारा निम्नलिखित कदम उठाएं जा रहे हैं :-

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर एक पत्र सभी अध्यक्षों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भेजा गया है कि वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों को अवश्य रूप से बुलाएं और हिंदी प्रशिक्षण पर विशेष रूप से चर्चा की जाए ।
2. वरिष्ठतम स्तर पर सभी मंत्रालयों को पुनः पत्र भेजे जाने का प्रस्ताव है कि वे प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को नियमानुसार प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें ।
3. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाएं अन्य कार्यालयों के परिसरों में चलाई जाती हैं, अतः सभी मंत्रालयों को संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग की ओर से एक पत्र भेजा गया है कि हिंदी कक्षा हेतु मूलभूत सुविधाओं से युक्त कक्ष उपलब्ध कराएं ताकि प्रशिक्षण के लिए आने वाले कर्मचारियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों को निदेश जारी किए गए थे कि वे अपने क्षेत्राधीन सभी सहायक निदेशकों एवं हिंदी प्राध्यापकों को कक्षाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कहें ताकि स्थान की कमी के कारण यदि 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कक्षाओं की संख्या बढ़ा कर की जा सके ।
5. आज का युग आधुनिक प्रौद्योगिकी का युग है, अतः कक्षाओं के वातावरण को आधुनिक बनाने के लिए कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु ऑन लाईन प्रशिक्षण पद्धति अपनाने के लिए भी सी-डेक, पुणे की सहायता से कार्रवाई की जा रही है ।

6. हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मिलने वाली पुरस्कार राशियों को और अधिक आकर्षक बनाने पर विचार किया जा रहा है । आशय यह है कि इन सभी उपायों के कार्यान्वयन से लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी ।

7. दिनांक 8-9, मार्च, 2010 को आयोजित हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय उप निदेशकों की वार्षिक बैठक के दौरान हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि सभी उप निदेशक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने स्तर से, सहायक निदेशकों और हिंदी प्राध्यापकों के स्तर से गहन संपर्क कार्य करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकें।

8. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के उपनिदेशकों और हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े आदि की सही वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके।

2.2 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (अनुवाद कार्य) :

2.2.1 01 मार्च, 1971 को स्थापित राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांवाधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य करता है और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है । ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त बैगलूरू, मुबंई व कोलकाता में अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र है । दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्थाएं है ।

2.2.2 ब्यूरो द्वारा वर्ष 2009-2010 में 76,000 मानक पृष्ठों (नियमित स्थापना द्वारा 46,000 पृष्ठ तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 30,000 पृष्ठ) के अनुवाद के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 58,861 मानक पृष्ठों (39,578 नियमित स्थापना द्वारा तथा 19,283 अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा) का अनुवाद किया गया । वर्ष 2010-11 के दौरान 50,200 मानक पृष्ठों के अनुवाद के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2010 तक कुल 30,569 मानक पृष्ठों का (नियमित स्थापना द्वारा 24,120 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 6,449 पृष्ठों का) अनुवाद किया गया । वर्ष 2011-12 में ब्यूरो में रिक्त पदों को भरने एवं अनुवाद दरों को स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के परिणाम मिलने की संभावना को देखते हुए अनुवाद कार्य के लक्ष्य को बढ़ाकर 60,000 मानक पृष्ठ (नियमित स्थापना द्वारा 40,000 पृष्ठ तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 20,000 पृष्ठ) रखा गया है ।

2.2.3 अनुवाद कार्य संबंधी पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है और शीघ्र इस दिशा में प्रगति संभावित है । दूसरी तरफ ब्यूरो की अनुवाद क्षमता विस्तार योजना में बाह्य अनुवादकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों एवं राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर विज्ञापन देकर अनुवादकों का पैनल संवर्धित करने के लिए आवेदन मंगाए हैं । इन विज्ञापनों का अच्छा response मिला है । बाह्य अनुवादकों को भुगतान की जाने वाली अनुवाद दरों को स्वीकार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव राजभाषा विभाग के सक्रिय विचाराधीन है ।

2.2.4 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2009-2010		वर्ष 2010-2011		वर्ष 2011-2012
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (31-12-2010 तक)	लक्ष्य
(1) त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	12 कार्यक्रम 118 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	12 कार्यक्रम 122 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी
(2) 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	01 कार्यक्रम 55 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 53 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 60 प्रशिक्षणार्थी
(3) अल्पावधिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	13 कार्यक्रम 339 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	10 कार्यक्रम 284 प्रशिक्षणार्थी	20 कार्यक्रम 500 प्रशिक्षणार्थी
(4)उच्चस्तरीय/ पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	05 कार्यक्रम 112 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	05 कार्यक्रम 88 प्रशिक्षणार्थी	08 कार्यक्रम 120 प्रशिक्षणार्थी
(5) राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अधीन प्रशिक्षण	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी	03 कार्यक्रम 41 प्रशिक्षणार्थी	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 24 प्रशिक्षणार्थी	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी

2.2.5 त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या लक्ष्य से कम रहने का मुख्य कारण कार्यालयों द्वारा 3 महीने की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को नामित/कार्यमुक्त न करने की प्रवृत्ति है। केन्द्र सरकार के जिन कार्यालयों द्वारा तिमाही प्रगति

रिपोर्ट में अपने यहां अनुवाद के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को शेष दिखाया गया हैं उन्हें ब्यूरो द्वारा इन कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुवाद प्रशिक्षण के लिए नामित करने के लिए पत्र लिखे हैं। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे अधिकारियों के साथ दिसंबर, 2010 में सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में होने वाली केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में भी मंत्रालयों/विभागों से अपने तथा अपने अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों से अनुवाद के लिए शेष कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुवाद प्रशिक्षण में नामित करने के लिए कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त इस समस्या को देखते हुए इस प्रशिक्षण को अनुवाद कार्य के लिए भर्ती होने वाले नये कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा के आरंभ में परिवीक्षा के रूप में अनुवाद प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की संभावना की जांच की जा रही है। राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के उपनिदेशकों और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के केन्द्रों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा ताकि दिल्ली क्षेत्र से बाहर स्थित कार्यालयों के संबंध में नराकास की बैठकों तथा अन्य मंचों पर अनुवाद प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया जा सके।

3. राजभाषा हिंदी का तकनीकी पहलू

3.1 राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग हिंदी प्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित करवाने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ तकनीकी सम्मेलनों/संगोष्ठियों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से सम्पर्क स्थापित करता है तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों व साफ्टवेयर अनुप्रयोग (Applications) द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

3.2 तकनीकी प्रभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रयोग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, सी-डेक, नोएडा, तथा एन.पी.टी.आई.,फरीदाबाद के माध्यम से करवाता है । इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी नि:शुल्क भाग ले सकते हैं । राजभाषा विभाग द्वारा दसवीं योजना में प्रत्येक वर्ष लगभग 100 कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये परंतु ग्यारहवीं योजना में राजभाषा विभाग के योजना बजट में कटौती के कारण वर्ष 2009-2010 में 85 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया । वर्ष 2010-11 में भी उपलब्ध बजट को देखते हुए हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के कुल 54 कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है । कंप्यूटर प्रशिक्षण के महत्व एवं मांग के मद्देनजर वर्ष 2011-12 में प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्थाओं में राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को भी शामिल करते हुए हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के 125 कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य है।

3.3 तकनीकी प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष चार तकनीकी संगोष्ठियों और कंप्यूटर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंम्प्यूटरों में द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है । वर्ष 2009-10 में चार तकनीकी संगोष्ठियां आयोजित की गई । वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित 04 संगोष्ठियों में प्रथम संगोष्ठी क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के साथ दिनांक 21.12.2010 को विशाखापट्नम में आयोजित हुई । आगामी तकनीकी संगोष्ठी पणजी (गोवा) में दिनांक 20.01.2011 को होनी हैं । इस क्रम में तीसरी तथा चौथी संगोष्ठी शिमला तथा गंगटोक में क्रमशः फरवरी तथा मार्च, 2011 में प्रस्तावित है । वर्ष 2011-12 में भी इस प्रकार की चार संगोष्ठियां आयोजित करने का लक्ष्य है।

3.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा विभाग सी-डैक, पुणे के माध्यम से हिंदी के प्रयोग में सहायक विभिन्न साफ्टवेयरों के विकास का कार्य कर रहा है । इन सॉफ्टवेयरों के विकास के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक, पुणे के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :-

	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
भाषा अनुप्रयोग उपकरण					
1. लीला **(Learn Indian Languages through Artificial intelligence)**	प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुसार संस्करण तैयार करना	कार्य जारी रहा ।	प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के अनुसार संशोधित संस्करण तैयार करना ।	विकास कार्य पूरा किया गया।	परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।
2. मंत्र	सामान्य पत्राचार के अनुवाद के लिए मंत्रा का अंतिम संस्करण तथा मंत्र साफ्टवेयर के अनुवाद की गुणवत्ता के स्तर को स्वीकार्य स्तर तक सुधारना ।	कार्य जारी रहा ।	सामान्य पत्राचार के अनुवाद के लिए मंत्रा का अंतिम संस्करण तथा मंत्र साफ्टवेयर के अनुवाद की गुणवत्ता के स्तर को स्वीकार्य स्तर तक सुधारना ।	सामान्य पत्राचार के अनुवाद के लिए मंत्रा विकसित किया/ गुणवत्ता में सुधार करने के बाद संशोघित साफ्टवेयर पर प्रयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों से गुणवत्ता पर राय ली जा रही है । मंत्र के बारे में प्रयोगकर्ताओं में जागरूकता	परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।

	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
				पैदा करने के लिए कुछ चयनित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को सी-डैक के सहयोग से मंत्र के प्रयोग का प्रशिक्षण देकर इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया जायेगा।	
3. वाचांतर	**वाचांतर** अंतिम संस्करण	**वाचांतर** अंतिम संस्करण का विकास कार्य जारी रहा ।	**वाचांतर** साफ्टवेयर की गुणवत्ता में सुधार लाना ।	गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के बाद संशोघित साफ्टवेयर पर प्रयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों से गुणवत्ता पर राय ली जा रही है ।	परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।
4. प्रवाचक	**प्रवाचक** अंतिम संस्करण	अंतिम संस्करण का विकास कार्य जारी रहा ।	साफ्टवेयर की गुणवत्ता में सुधार लाना ।	गुणवत्ता में सुधार कार्य के बाद संशोघित साफ्टवेयर पर प्रयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों से गुणवत्ता पर राय ली जा रही है ।	परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।
भाषा कंम्प्यूटिंग अनुप्रयोग					
1.ई-महाशब्दकोश	**ई-महाशब्दकोश** द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश (विधिक, शिक्षा एवं पर्यटन क्षेत्रों सहित कुल 9 कार्य क्षेत्रों के लिए)	विकास कार्य जारी रहा।	**ई-महाशब्दकोश** द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश का आगे विकास करते हुए खेल, संस्कृति एवं रेलवे क्षेत्रों सहित कुल 12 कार्य	अब तक कुल 8 कार्यक्षेत्रों (प्रशासनिक, कृषि, बैकिंग व वित्त, स्वास्थ्य, विधिक, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा पर्यटन) के लिए शब्दकोश तैयार किया	**ई-महाशब्दकोश** द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश का आगे विकास करते हुए कुल 15 कार्य क्षेत्रों (प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं

	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
			क्षेत्रों के लिए ।	गया । तैयार शब्दकोशों की प्रमाणिकता की जांच वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग से कराई जा रही है।	उद्योग , सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, बैंकिंग एवं वित्त , विधिक, शिक्षा एवं पर्यटन, खेल, संस्कृति एवं रेलवे, वाणिज्य, सामाजिक कल्याण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों) के लिए ।
2.ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली	विकास का कार्य जारी रहा ।	ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का विकास कार्य पूरा करना ।	ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का विकास कार्य पूरा करना ।	ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का विकास कार्य पूरा किया गया व चुने हुए केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया ।	परियोजना का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।
3. भाषा प्रयोगशाला		पहली हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है तथा भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्रवाई सी-डेक,पुणे द्वारा की गई ।	एक और भाषा प्रयोगशाला की स्थापना ।	स्थापित की जाने वाली प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए पहली हिंदी भाषा प्रयोगशाला का प्रोटोटाइप तैयार किया ।	एक और भाषा प्रयोगशाला की स्थापना ।

3.5 अनुश्रवण, प्रशासनिक/वित्तीय एवं कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट ऑन-लाइन उपलब्ध कराने के लिए नए साफ्टवेयर का विकास

3.5.1 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित लगभग दस हजार केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के अनुश्रवण तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है । उक्त कार्यालय राष्ट्र भर में स्थित 274 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकासों) के सदस्य हैं। अनुश्रवण की प्रक्रिया तीन स्तरीय हैः

(क) प्रथम स्तर पर राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के क्रमशः 05 व 03 क्षेत्रीय कार्यालयों से उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सूचनाएं प्राप्त होती हैं । संस्थान के हिंदी भाषा प्रशिक्षण के 109 पूर्णकालिक व 05 अंशकालिक केन्द्र हैं । हिंदी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण के 20 पूर्णकालिक व 13 अंशकालिक केन्द्र हैं ।

(ख) राजभाषा विभाग को शिक्षण संस्थान, अनुवाद ब्यूरो व क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्रशिक्षण की वित्तीय व भौतिक आख्याएं प्राप्त होती हैं।

(ग) राजभाषा विभाग को समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से तिमाही व वार्षिक प्रगति आख्याएं प्राप्त होती हैं ।

3.5.2 इन समस्त आख्याओं को मैनुअल की बजाए साफ्टवेयर एप्लीकेशन्स के माध्यम से आन-लाइन किया जाना परम आवश्यक है ।

3.5.3 इसके अतिरिक्त MIS प्रणाली द्वारा राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों के क्षेत्रीय केन्द्रों आदि की प्रशासनिक एवं वित्तीय व भौतिक प्रगति की मानिटरिंग के लिए प्राप्त की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों/सूचना को आन-लाइन प्राप्त करने की प्रणाली विकसित करना भी प्रस्तावित है ।

3.5.4 यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राजभाषा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण शीर्षतम स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिंदी समिति, समस्त मंत्रालयों/विभागों में संबंधित माननीय मंत्रीगण की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समितियों तथा सचिव, राजभाषा की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है । इन सबके अतिरिक्त संसदीय राजभाषा समिति भी राजभाषा के प्रयोग का सतत् अनुश्रवण करती है । अतः उल्लिखित प्रयोजनार्थ साफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स का विकास नितांत आवश्यक है ।

3.5.5 वर्ष 2011-12 में तिमाही प्रगति रिपोर्टों को ऑन-लाइन पर प्रस्तुति की प्रणाली को विकसित करने तथा राजभाषा विभाग में प्रशासक सहित प्रयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने करने का लक्ष्य रखा गया है।

4. अनुसंधान एकक की गतिविधियां:

4.1 पत्र-पत्रिकाओं तथा राजभाषा साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार

4.1.1 राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के पहलू को सरकारी तंत्र में सशक्त रूप से पेश करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई है। अनुसंधान प्रभाग के पत्रिका एकक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका **राजभाषा भारती** का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है । इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों व अन्य संस्थाओं की राजभाषा संबंधी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है । अब तक इस पत्रिका के 129 अंक प्रकाशित हो चुके है तथा इसका 130 वां अंक मुद्रणाधीन है ।

4.1.2 राजभाषा विभाग द्वारा किए गए सरकारी कार्यों के विवरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी कार्यकलापों से संबंधित प्रकाशन है । विभाग की दूसरी रिपोर्ट वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर उनसे प्राप्त समेकित मूल्यांकन रिपोर्ट का संकलन है । उक्त दोनों रिपोर्टों का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण का कार्य किया जाता है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाती है । वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखा जाया है । वर्ष 2008-09 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जुलाई, 2010 में संसद के पटल पर रखी गयी ।

4.1.3 विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित की जा रही हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से **"हिंदी पत्रिका पुरस्कार योजना"** शुरू की गई है । इस योजना के तहत मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए क्रमशः 02-02 पुरस्कार दिए जाते हैं ।

4.1.4 अब तक 17 स्तरीय हिंदी पुस्तक सूची, जिसमें लगभग 34,926 पुस्तकें शामिल की गई हैं, जारी की जा चुकी है ।

4.1.5 राजभाषा नीति के अंतर्गत राजभाषा का प्रचार-प्रसार प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार व सदभावना के आधार पर किया जाना है । अतः राजभाषा विभाग में विविध माध्यमों यथा प्रकाशन, मुद्रण व इलैक्ट्रोनिक्स माध्यमों से व्यापक व गहन प्रसार की अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीति आवश्यक है। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खण्ड में की गई संस्तुतियों के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पारित आदेश में भी राजभाषा के प्रभावी प्रचार-प्रसार का प्रावधान है ।

4.1.6 हाल ही में अनके विभागों जैसे आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नेशनल रूरल हैल्थ मिशन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय ए.डी.एम.ए.,

4.1.7 राजभाषा की मूलभूत सोच, जो प्रसार प्रचार को बढ़ावा देती है, को देखते हुए निम्नलिखित माध्यमों से प्रचार प्रस्तावित हैः-

1. प्रमुख बस स्टापों पर बने शेल्टरों के डिस्पले बोर्डों. पर मासिक आधार पर राजभाषा संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन ।
2. टी.वी.पर स्क्रालिंग के माध्यम से प्रचार सामग्री का प्रदर्शन ।
3. कतिपय अपेक्षाकृत कम मंहगे टी.वी.चैनल जैसे आस्था, संस्कार, श्रद्धा आदि पर 20-30 सैंकड के टी.वी. स्पाट्स प्रदर्शित करना ।
4. एफ.एम.रेडियों पर राजभाषा का प्रचार ।
5. मेट्रों रेल में डिब्बे के अंदर विज्ञापन डिस्पले बोर्ड पर प्रचार सामग्री का प्रदर्शन ।
6. **L.E.D.**डिस्पले बोर्ड द्वारा हिंदी का प्रचार-प्रसार

4.1.9 वर्ष 2011-12 में अनुसंधान एवं पत्रिका एकक की गतिविधियों में उपरोक्त माध्यमों से प्रचार की गतिविधि को शामिल करके विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

5 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व अनुश्रवण पक्ष

5.1 समितियां

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न समितियां गठित हैं :

5.1.1 केन्द्रीय हिंदी समिति

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के प्रचार तथा प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है । यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है । इस समिति की पिछली (29वीं) बैठक दिनांक 04.01.2007 को हुई। केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन दिनांक 13.11.2009 को किया गया । इसकी आगामी बैठक अप्रैल, 2011 में प्रस्तावित है ।

5.1.2 संसदीय राजभाषा समिति

इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया । इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक

प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अभी तक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंड़ों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा चुके हैं ।

5.1.3 हिंदी सलाहकार समितिः

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित है । इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना वांछित है ।

5.1.4 केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितिः

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं। इस समिति की अब तक 35 बैठकें हो चुकी हैं । इसकी 35वीं बैठक 29 व 30 दिसंबर, 2010 को आयोजित हुई ।

5.1.5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढावा देना तथा इसके मार्ग में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना है । वर्तमान में देश के विभिन्न नगरों में **274** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनमें से **39** समितियां (26-बैंकों के लिए तथा 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए) बैंकों और उपक्रमों के लिए गठित हैं । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं |

5.1.6 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है | इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं| बैठकों में तिमाही

प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं ।

6 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.1 सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा इस संबंध में बनाए गए राजभाषा नियमों की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2009-10 में 3,024 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण का लक्ष्य के सापेक्ष 1,698 सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है। वर्ष 2010-11 में 3,024 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के सापेक्ष दिसम्बर, 2010 तक 1214 निरीक्षण किये जा चुके हैं । वर्ष 2011-12 में भी 3024 कार्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य है ।

7 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकें

7.1 वर्ष 2009-10 में नराकास की 534 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष में इनकी 376 बैठकें आयोजित की गई है। कुछ कारणों, जैसे कुछ समितियों के अध्यक्षों का स्थानांतरण आदि, से प्रत्येक समिति की वर्ष में दोनों बैठकें नहीं हुई। वर्ष 2010-11 में 542 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2010 तक 295 बैठकें आयोजित हुई। वर्ष 2011-12 में कुल गठित 274 नराकास की 548 बैठकों के आयोजन का लक्ष्य है।

8 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

8.1 राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं । वर्ष 2009-10 में चार क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन के लक्ष्य में पहला सम्मेलन दिनांक 09.10.2009 को पुडुचेरी में, दूसरा सम्मेलन देहरादून में 08 जनवरी, 2010 को, तीसरा सम्मेलन शिलंग में 04-05 फरवरी, 2010 को तथा चौथा सम्मेलन दमण में 27मार्च, 2010 को आयोजित किया गया । वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में भी चार क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन का लक्ष्य है । इस क्रम में पहला क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन विशाखापट्नम में दिनांक 21.12.2010 को आयोजित हुआ । अगला क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन पणजी (गोवा) में 21 जनवरी, 2011 में तथा आगामी दो अन्य सम्मेलन शिमला व गंगटोक में क्रमश: फरवरी, 2011 व मार्च, 2011 में किए जा रहे हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा संबंधी सांविधिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और महामहिम

राष्ट्रपति जी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन विधिवत रूप से करने के लिए इन राजभाषा सम्मेलनों में संघ की राजभाषा नीति संबंधी विषयों पर विचार मंथन भी किया जाएगा।

9 राजभाषा प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार

9.1 दिनांक 14.09.2010 को नई दिल्ली में वर्ष 2008-09 के लिए मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को शील्डें तथा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार** प्रदान किए गए । इस अवसर पर हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** 2008-09 के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार हिंदी दिवस पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए गए ।

***